फा.सं. 12016/01/2023-रा.भा. (का-2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

दिनाँक: 18 अप्रैल, 2023

परिपत्र

विषय: वर्ष 2023 में केंद्रीय स. रा. सेवा संवर्ग के द्वितीय तकनीकी संगोष्ठी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की जाने वाली अनुवाद, निबंध, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी (प्रश्नमंच/क्विज) प्रतियोगिताओं के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2023 के परिपत्र सं.-12016/01/2023-रा.भा. (का-2) (पार्ट-1) का संदर्भ लें, जिसमें केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/अनुवादकों के लिए 26 मई, 2023 को आयोजित होने वाली द्वितीय तकनीकी संगोष्ठी के अवसर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कराए जाने का उल्लेख है। अन्य प्रतियोगिताओं के अलावा, उपर्युक्त चार प्रतियोगिताओं के लिए 14 अप्रैल, 2023 तक प्रतिभागियों के नाम आमंत्रित किए गए थे। ये चारों प्रतियोगिताएं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की जाएंगी-

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	अनुवाद प्रतियोगिता	24 अप्रैल, 2023 (सोमवार) प्रात: 11 बजे	8वां तल, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
2.	निबंध प्रतियोगिता	25 अप्रैल, 202 (मंगलवार) प्रात: 11 बजे	8वां तल, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
3.	वाद-विवाद प्रतियोगिता	02 मई, 2023 (मंगलवार) प्रात: 11 बजे	प्रथम तल, एनडीसीसी II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली
4.	प्रश्नोत्तरी/प्रश्नमंच(क्विज) प्रतियोगिता	03 मई, 2023 (बुधवार) प्रात: 11 बजे	प्रथम तल, एनडीसीसी II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रतियोगिताओं से संबंधित कुछ विशेष विवरण इस प्रकार है-

I. **अनुवाद प्रतियोगिता** का समय 45 मिनट होगा जिसमें एक पैराग्राफ हिंदी से अंग्रेजी और एक पैराग्राफ अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा।

II. **निबंध प्रतियोगिता** का समय 1 घंटा और शब्द सीमा 1000 से 1200 शब्द होगी। समसामयिक/ज्वलंत मुद्दों पर दिए गए किन्हीं तीन विषयों में से एक पर निबंध लिखना होगा।

III. **वाद-विवाद प्रतियोगिता** में दिए जाने वाले विषयों/शीर्षकों/मुद्दों में से लाटरी प्रणाली से विषय का चयन प्रतिभागी द्वारा स्वयं मौके पर किया जाएगा। विषय के पक्ष या विपक्ष में बोला जा सकता है।

IV. **प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता** में तैयार किए जाने वाले प्रश्न बैंक में से एक-एक समूह (6-6 प्रतिभागी) से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आमतौर पर राजभाषा नीति, वर्तनी, व्याकरण, भाषा-इतिहास, सामान्य इतिहास, पुस्तक एवं लेखक, सामान्य ज्ञान-विज्ञान से संबंधित होंगे।

वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए अधिकतम 3 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा। किसी भी प्रतियोगिता के संबंध में निर्णायकों/जाँचकर्ता का निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा यथासमय की जाएगी।

सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित हो जाएं। कोई भी प्रतियोगिता आरंभ हो जाने के पश्चात किसी प्रतिभागी को प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ये प्रतियोगिताएं केवल केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कार्यरत अधिकारियों/अनुवादकों के लिए हैं।

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)
उप सचिव(का.)

प्रति:

1. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा परामर्शदाता (नीति), राजभाषा विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करवाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1. सचिव, राजभाषा के पीएसओ।
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा के प्रधान निजी सचिव।